6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 73/16 तारीख रजू– 18/05/2016

शिवसिंह पुत्र गोपी जाति जाटव निवासी ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील वजीरपुर ——— रेस्पो0

निर्णय **दिनांक–14/09/2016**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील वजीरपुर के मिसल संख्या 577 में पारित निर्णय दिनांक 04/09/2015 जिसमे अपीलार्थी को अतिक्रमण करने का आदी होना मानकर 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी किये गये नोटिस पर अपीलार्थी की प्रोपर तामील नही हुई है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का मात्र खसरा नम्बर 191 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर कब्जा माना है , जबकि उक्त चरागाह से लगते हुए अपीलांट के खेतों की भूमि है। पटवारी हल्का कई बार नाप–तौल की कहने के पश्चात् भी पटवारी हल्का द्वारा नाप–तौल नहीं की गई। पटवारी हल्का द्वारा यदि अपीलान्ट को नाप–तौल कर यह बताया जाता कि 0.02है0 चरागाह भूमि पर कब्जा है तो अपीलान्ट कभी भी उसे काश्त नहीं करता । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत निरस्त फरमाया जावें।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 4/09/15 की पालना मे अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

6
28

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को विधिवत रूप से सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई तिथि के नोटिस जारी किये गये है अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन की उसे सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया गया है मिथ्या है। अपीलार्थी ने उक्त आराजीयात 0.02 है0 किस्म चरागाह की जाानकारी नहीं होना बताया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मु0नं0 598 निर्णय दिनांक 19/09/14 द्वारा सम्वत् 2071 में भी अपीलान्ट को उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण होने के कारण पूर्व में भी बेदखल किया गया था। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को उक्त चरागाह भूमि की जानकारी होने हुए भी अतिक्रमण करने का आदी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे कोई अनियमितता होना प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04/09/15 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर